न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :उन्नाव , तहसील :पुरवा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202310690200204
वाद संख्या:- 204/2023
सत्यगुरू एजूकेशनल ट्रस्ट फाउण्डर बचुआखेड़ा हिलौली द्वारा ट्रस्टी सुनील कुमार सिंह बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/01/2023

अन्तर्गत धारा- 80 उपधारा (2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

ग्राम हिलौली परगना मौरावां

तहसील पुरवा जिला उन्नाव।

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार पुरवा की आख्या दिनां क 03.01.2023 के आधार पर संस्थित किया गया। तहसीलदार पुरवा ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि ग्राम हिलौली परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1419-1424फ0 के खाता सं0 02967 की गाटा सं0 4217क रकबा 0.822हे0 सत्यगुरू एजूकेशनल ट्रस्ट फाउण्डर बचुआखेड़ा हिलौली उन्नाव द्वारा ट्रस्टी सुनील कुमार पुत्र गुरू प्रसाद नि0 ग्राम बचुआखेड़ा म0 हिलौली परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। वादी के द्वारा उक्त गाटा सं0 4217क रकबा 0.822हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य बागवानी पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 4217क रकबा 0.822हे0 भूमि आवासीय/शैक्षिक प्रयोजन की है जिसमें विद्यालय संचालन हेतु निर्माण कार्य प्रचलित है कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि हिलौली सदाना मार्ग पर स्थित है। तहसीलदार पुरवा द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है का भी उल्लेख किया गया है। तहसीलदार पुरवा के द्वारा आख्या दिनां क 03.01.2023 के साथ स्थल की फोटो सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ उक्त भूमि को धारा-80 उ0प्र0रा0सं0 2006 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का विधिवत् अवलोकन व परिशीलन किया। तहसीलदार पुरवा की आख्यानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही है। आवेदिका द्वारा नियमानुसार निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0 27,126.00 रू0 जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया, तथा नियमानुसार न्याय शुल्क के रूप में मु0 27,126.00 रू0 स्टाम्प द्वारा अदा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम हिलौली परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खतौनी सन् 1419-1424फ0 के खाता सं0 02967 की गाटा सं0 4217क रकबा 0.822हे0 सत्यगुरू एजूकेशनल ट्रस्ट फाउण्डर बचुआखेड़ा हिलौली उन्नाव द्वारा ट्रस्टी सुनील कुमार पुत्र गुरूप्रसाद नि0 ग्राम बचुआखेड़ा म0 हिलौली परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। घोषणा की तिथि से 05 वर्ष के भीतर कृषि भिन्न क्रियाकलाप प्रारम्भ कर देगा या प्रारम्भ करने में असफल रहेगा तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक

क्रमशः पेज 2 पर

(2)

भाग की घोषणा स्वयमेव व्यपगत एवं निरस्त माना जायेगा। यह घोषणा केवल भू-राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग भविष्य में कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से संबन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा

82 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेगें । पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य तथ्य कभी भी अविधिक एवं जाली पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक पुरवा तथा राजस्व अभिलेखो मे अंकन हेतु एक प्रति तहसीलदार पुरवा को भेजी जाये। आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अतुल कुमार)

उप जिलाधिकारी पुरवा,

उन्नाव।

Disclaimer:

[illegible] प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) से उपलब्ध अद्यतन सूचना पर [illegible] मात्र सूचनार्थ है तथा [illegible] की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / [illegible] सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। [illegible]